उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा) अनुभाग-2

संख्या-2 /2022/ए-2-49 /दस-2022-24(15)/95

लखनऊ, दिनांक: 21 मार्च, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की समीक्षा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5,6 तथा 7 में यथावश्यक संशोधन के संदर्भ में संस्तुति देने हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-3039 /दस-2022- दिनांक 05 अगस्त,2015 द्वारा कोष्ठक का गठन किया गया था। उक्त कोष्ठक के अध्यक्ष (श्री मुकेश मित्तल),सदस्य (श्री लहरी यादव) एवं सदस्य संयोजक (श्री राजीव श्रीवास्तव) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त कोष्ठक का गठन निम्नवत किया जाता है:-

1	सचिव, वित्त	अध्यक्ष
2	विशेष सचिव/वित्तीय सलाहकार (बजट)	सदस्य
3	निदेशक,वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,उ. प्र., लखनऊ	सदस्य
4	निदेशक, कोषागार, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
5	विशेष सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग-1 एवं 2	सदस्य-संयोजक

2 - प्रशासकीय विभाग विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन में परिवर्तन अथवा परिवर्धन हेतु अपने संहन सुझाव/प्रस्ताव उक्त कोष्ठक के विचारार्थ छः प्रतियों में प्रेषित करेगें और बैठक आहूत किये जाने पर अपने विभाग के प्रतिनिधि (जो प्रकरण से भिज्ञ हो तथा विशेष सचिव के स्तर से नीचे के न हो) को सम्पूर्ण सूचना सहित बैठक में प्रतिभाग हेतु भेजेंगे।

एस. राधा चौहान

अपर मुख्य सचिव

संख्या-2 /2022/ए-2-49 (1)/दस-2022-24(15)/95, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
2. कोष्ठक के अध्यक्ष एवं सदस्य ।

आज्ञा से,

आर.एल. त्रिपाठी

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।